



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/

जयपुर, दिनांक:- 5-11-2014

1468

अधिसूचना:-

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/510 दिनांक 02.06.2014 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रस्तुत करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अधिसूचनाओं का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित संगीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात बारा जिले की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और कि :-

1. बारा जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्राम पंचायतें उस नाम से जानी जायेंगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित है;

2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानामित पंचायतें अधिकारिता का प्रयोग करेंगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;

3- अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायतों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;

4- और यथास्त आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायतें जो अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बन्द कर देंगी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायतों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

पंचायत समिति का नाम विभाग				
क्र० सं०	वर्तमान नाम पंचायत का नाम	वर्तमान नाम पंचायत में सम्मिलित ग्रामों के नाम	पुनर्गठित/ पुनर्सीमांकित/नवसृजित का नाम	पुनर्गठित/ पुनर्सीमांकित/नवसृजित सम्मिलित ग्रामों का नाम
1	2	3	4	5
1	छत्रगंज	1.नेहरपुरा 2.छत्रगंज 3.हरिपुरा 4.खन्दा 5.खन्दा 6.लाटखेडा 7.किशनपुरा 8.मालोटी 9.रामविलास	छत्रगंज	1.नेहरपुरा 2.छत्रगंज 3.हरिपुरा 4.खन्दा 5.खन्दा 6.लाटखेडा 7.मालोटी 8.रामविलास
2	जलवाडा	1.जलवाडा 2.बमोरी 3.बालापुरा 4.कदीली	जलवाडा	1.जलवाडा 2.बमोरी 3.बालापुरा 4.कदीली

3	सिमांश	सिमांश	सिमांश	सिमांश
1.सिमांश 2.श्रीपुरा 3.सिमांश 4.महोदरी 5.नयावा 6.शाहपुरा 7.नौमखंडा वी० 8.गंगावा 9.गंगावा 10.लखंडा 11.बलदेवपुरा उर्फ डोब	सिमांश	सिमांश	सिमांश	सिमांश
4	बादीपुरा	बादीपुरा	बादीपुरा	बादीपुरा
1.बादीपुरा 2.दुर्जनपुरा 3.मैरपुरा वी० 4.लक्ष्मीपुरा उर्फ पटखडी 5.गंगावा 6.गंगावा 7.लखंडा 8.बलदेवपुरा उर्फ डोब	बादीपुरा	बादीपुरा	बादीपुरा	बादीपुरा
5	-	-	-	-
6	खण्डेला	खण्डेला	खण्डेला	खण्डेला
1.सिमांश 2.कोटीखंडा 3.खण्डेला 4.अमली 5.अमली 6.खंडेला 7.दीगावा	खण्डेला	खण्डेला	खण्डेला	खण्डेला
7	लक्ष्मीपुरा उर्फ खाखरा	लक्ष्मीपुरा उर्फ खाखरा	लक्ष्मीपुरा उर्फ खाखरा	लक्ष्मीपुरा उर्फ खाखरा
1.लक्ष्मीपुरा 2.खाखरा 3.रामवासा 4.चारपुरा 5.रामवासा 6.रामनगर उर्फ नयागांव 7.गणेशपुरा 8.दीगावा	लक्ष्मीपुरा उर्फ खाखरा	लक्ष्मीपुरा उर्फ खाखरा	लक्ष्मीपुरा उर्फ खाखरा	लक्ष्मीपुरा उर्फ खाखरा
8	रामपुरिया टोडिया	रामपुरिया टोडिया	रामपुरिया टोडिया	रामपुरिया टोडिया
1.रामपुरिया टोडिया 2.बालापुरा उर्फ जलपुरा 3.रामपुरा 4.गोखनपुरा 5.कालीमाटी 6.महापुरा 7.जैतपुरा 8.नयागांव वी० 9.झुनवावा वी० 10.जगदीशपुरा	रामपुरिया टोडिया	रामपुरिया टोडिया	रामपुरिया टोडिया	रामपुरिया टोडिया
9	गरडा	गरडा	गरडा	गरडा
1.सदाफल 2.गोपालपुरा 3.जैतपुरा 4.गरडा	गरडा	गरडा	गरडा	गरडा

10	सर्गोवडीद	1.महरावडा 2.रानीवडीद 3.इकलेरा 4.मिसाई	रानीवडीद	1.रानीवडीद 2.इकलेरा 3.मिसाई
11	दीगोदपार	1.दीगोदपार 2.बछीदिया 3.लाखाखेडी रामपुरिया	दीगोदपार	1.दीगोदपार 2.बछीदिया 3.महरावडा
12	बरुनी	1.सुहावन 2.बाखेडा 3.बरुनी 4.लालगंज उर्फ उमदेपुरा 5.खेडली 6.शाहपुरा	बरुनी	1.सुहावन 2.बाखेडा 3.बरुनी 4.लालगंज उर्फ उमदेपुरा 5.खेडली 6.शाहपुरा 7.लाखाखेडी रामपुरिया
13	बासबूनी	1.बासबूनी 2.हीरपुर 3.गाडीचट्टा 4.रामपुरिया जागीर 5.फल्दी 6.गीचट्टा 7.पीजना	बासबूनी	1.बासबूनी 2.हीरपुर 3.गाडीचट्टा
14	—	—	पीजना	1.रामपुरिया जागीर 2.फल्दी 3.गीचट्टा 4.पीजना 5.कुन्दा
15	बिलासगढ	1.कुन्दा 2.काडीखेडा 3.बरखेडा 4.पीजनी 5.सिमलिया 6.बिलासगढ	बिलासगढ	1.काडीखेडा 2.बरखेडा 3.पीजनी 4.सिमलिया 5.बिलासगढ
16	रेलावन	1.रेलावन 2.झार 3.कवरपुरा 4.दण्डछत्रपुरा 5.शोभागपुरा	रेलावन	1.रेलावन 2.झार 3.कवरपुरा
17	—	—	शोभागपुरा	1.दण्डछत्रपुरा 2.शोभागपुरा 3.कागलाबमोरी 4.पंचमपुरा
18	सेवनी	1.सेवनी 2.मवानीपुरा 3.मदनपुरा 4.पदमपुरा 5.स्वरूपपुरा 6.लक्ष्मीपुरा 7.कागलाबमोरी 8.पंचमपुरा	सेवनी	1.सेवनी 2.मवानीपुरा 3.मदनपुरा 4.पदमपुरा 5.स्वरूपपुरा 6.लक्ष्मीपुरा

पंचायत समिति का नाम -अठरू				
क्र०	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम पंचायत से सम्मिलित ग्रामी के नाम	पुरगीठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुरगीठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम
सं०				
1	खेडलीगंज	1.खेडलीगंज 2.रतनपुरा 3.गोविन्दपुरा 4.हैनपुरिया	4	खेडलीगंज
5				1.खेडलीगंज

2	—	—	रतनपुरा	1.रतनपुरा 2.गोविन्दपुरा 3.हैनपुरिया
3	कनोटीया	1.कनोटीया 2.नारयणपुरा 3.धुमेन 4.रघुनाथपुरा 5.रामपुरिया 6.झाडला	कनोटीया	1.कनोटीया 2.नारयणपुरा 3.धुमेन 4.रघुनाथपुरा 5.रामपुरिया 6.झाडला
4	कटावर	1.कटावर 2.मोखरखेडी 3.झाडला 4.मेहला 5.बलदेवपुरा 6.बिछलस 7.मन्थागण	कटावर	1.कटावर 2.मोखरखेडी 3.मेहला 4.बलदेवपुरा 5.बिछलस 6.मन्थागण
5	सहरोद	1.सहरोद 2.नृसिंहपुरा 3.उमदेगंज	सहरोद	1.सहरोद 2.नृसिंहपुरा
6	ढोटी	1.ढोटी 2.छजावा 3.हरनावडा	ढोटी	1.ढोटी 2.छजावा 3.उमदेगंज
7	मंडवा बिसोली	1.मंडवा बिसोली 2.बेरपुर 3.रहलाई 4.डाबाडिया 5.रामनिवास 6.देगनी	मंडवा बिसोली	1.मंडवा बिसोली 2.बेरपुर 3.रहलाई 4.डाबाडिया 5.रामनिवास 6.देगनी 7.हरनावडा

पंचायत समिति का नाम - शाहबाद				
क्र०	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम पंचायत से सम्मिलित ग्रामी के नाम	पुरगीठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुरगीठित / पुनर्सीमांकित / नवसृजित ग्रामों का नाम
सं०				
1	2	3	4	5
1	संदोकडा	1.संदोकडा 2.कनोरिया (गिराबाद) 3.बूडी (गिराबाद) 4.टांडा काधियान 5.पुरेनी 6.मानपुर 7.बोलनपुर 8.व्यासखेडी 9.मंडी बडवाली 10.नुकरा 11.मुसरेडी 12.महाडी (गिराबाद) 13.मानपुर 14.तिमरका 15.कपारिया 16.अजनी 17.महुरी 18.हनीतिया 19.कुजाय 20.मनकाखेडा	संदोकडा	1.संदोकडा 2.कनोरिया (गिराबाद) 3.बूडी (गिराबाद) 4.टांडा काधियान 5.पुरेनी 6.मानपुर 7.बोलनपुर 8.व्यासखेडी 9.मंडी बडवाली 10.नुकरा 11.मुसरेडी 12.महाडी (गिराबाद) 13.मानपुर 14.तिमरका 15.कपारिया 16.अजनी 17.महुरी 18.हनीतिया 19.मनकाखेडा

2	आगर	1.आगर 2.बनवारीपुरा (गैर आबाद) 3.कोटाखेडा(गैर आबाद) 4.कोटडी (गैर आबाद) 5.अमरोद 6.कच्छियाथाना 7.पल्लाखेडा(गैर आबाद) 8.रामपुर तल0 9.औगाड 10.महुआखेडी 11.धनकरी 12.खरका श्यामशाही (गैर आबाद) 13.कोटडा (गैर आबाद) 14.गुजरी (गैर आबाद) 15.टिमरी (गैर आबाद) 16.मरीली	आगर	1.आगर 2.बनवारीपुरा (गैर आबाद) 3.कोटाखेडा(गैर आबाद) 4.कोटडी (गैर आबाद) 5.अमरोद 6.पल्लाखेडा (गैर आबाद) 7.रामपुर तल0 8.खरका श्यामशाही (गैर आबाद) 9.कोटडा (गैर आबाद) 10.गुजरी (गैर आबाद) 11.टिमरी (गैर आबाद) 12.मरीली 13.कुजाय
3	-	-	औगाड	1.औगाड 2.महुआखेडी 3.धनकरी 4.टाडा अहिरान 5.मंजोला 6.गदा
4	कस्बाथाना	1.कस्बाथाना 2.माडो (गैर आबाद) 3.गदा 4.कुन्दा (गैर आबाद)	कस्बाथाना	1.कस्बाथाना 2.माडो (गैर आबाद) 3.कुन्दा (गैर आबाद) 4.कच्छियाथाना
5	सनवाडा	1.सनवाडा 2.रिखोल 3.हिडोल (गैर आबाद) 4.छेला 5.धुवा 6.ऊचापाथर (गैर आबाद) 7.रेवजा (गैर आबाद) 8.खिरिया 9.खिरिखरी 10.पठारी 11.बसई 12.टाडा अहिरान 13.मंजोला 14.पाटन 15.मलवाया (गैर आबाद) 16.चूरिया (गैर आबाद) 17.जका 18.बजरखा (गैर आबाद) 19.महेशपुर 20.साधरी 21.मण्डीसामरसिंगा	सनवाडा	1.सनवाडा 2.रिखोल 3.हिडोल (गैर आबाद) 4.छेला 5.धुवा 6.ऊचापाथर (गैर आबाद) 7.रेवजा (गैर आबाद) 8.खिरिया 9.खिरिखरी 10.पठारी 11.बसई 12.पाटन 13.मलवाया (गैर आबाद) 14.चूरिया (गैर आबाद) 15.जका 16.बजरखा (गैर आबाद) 17.महेशपुर 18.साधरी 19.मण्डीसामरसिंगा
6	केलवाडा	1.केलवाडा 2.दाता 3.छिछरीनी 4.ख्यावदा	केलवाडा	1.केलवाडा 2.दाता 3.छिछरीनी 4.ख्यावदा
7	-	-	दाता	1.दाता 2.छिछरीनी 3.ख्यावदा

8	शुमघरा	1. शुमघरा 2. खुशालपुरा 3. भौयल 4. फरेदुआ तल0 5. गताखेडा (गैर आबाद) 6. हाण्डखेडा (गैर आबाद) 7. मुगावली 8. गुगावली 9. दुडावर 10. बूडी भौयल 11. गुजरी 12. हनुमंतखेडा (गैर आबाद)	शुमघरा	1. शुमघरा 2. खुशालपुरा 3. भौयल 4. फरेदुआ तल0 5. गताखेडा (गैर आबाद) 6. हाण्डखेडा (गैर आबाद) 7. मुगावली 8. गुगावली 9. दुडावर 10. बूडी भौयल 11. गुजरी 12. हनुमंतखेडा (गैर आबाद)
9	-	-	भौयल	1. भौयल 2. फरेदुआ तल0 3. गताखेडा 4. दुडावर 5. बूडी भौयल 6. गुजरी
10	बीलखेडा माल	1. बीलखेडा माल 2. गोखनपुरा 3. गोघरा 4. कवपुरा (गैर आबाद) 5. सालोदा (गैर आबाद) 6. गोघरा 7. गजन 8. छिमाल 9. सड 10. छिमाल 11. सड	बीलखेडा माल	1. बीलखेडा माल 2. गोखनपुरा 3. गोघरा 4. कवपुरा (गैर आबाद) 5. सालोदा (गैर आबाद) 6. गोघरा 7. गजन 8. छिमाल 9. सड 10. छिमाल 11. सड

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राज0 जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव(विधि)



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/

1469 जयपुर, दिनांक:- 5-11-2014

अधिसूचना:-

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/510 दिनांक 02.06.14 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के कार्य हेतु अधिकृत किया गया था।

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्रवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अभिवृत्तियों का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित संभागीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात् बाणस जिले की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किया जा चुका है और कि :-

1. बाणस जिले की निम्नलिखित पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित ग्राम पंचायतें उस नाम से जानी जायेंगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में वर्णित हैं;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित/पुनर्सीमांकित/नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथा नामित पंचायतें अधिकारिता का प्रयोग करेंगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 वर्णित हैं;
3. अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथावर्णित पंचायतों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;
4. और यथोक्त आदेश से चुनाव के पश्चात् उक्त जिले की विद्यमान वे पंचायतें जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में वर्णित हैं उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेंगी और कार्य करना बन्द कर देनी जिससे अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायतों का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

पंचायत समिति बाणस

क्र.सं.	वर्तमान ग्रा.पं. का नाम	वर्तमान ग्रा.पं. में सम्मिलित ग्रामी का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकन/नवसृजित ग्रा.पं. का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकन/नवसृजित ग्रा.पं. में सम्मिलित ग्रामी का नाम
1	तिसाया	1.तिसाया 2.खेडलीकेशो 3.पीलिया 4.मानपुरा 5.रीठोद	तिसाया	1.तिसाया 2.खेडलीकेशो 3.पीलिया 4.मानपुरा
2	कोटडी सूण्डा	1.कोटडी सूण्डा 2.उल्ही 3.शाहगढ 4.तेजगढ 5.मजरावता	कोटडी सूण्डा	1.कोटडी सूण्डा 2.उल्ही 3.शाहगढ 4.तेजगढ 5.मजरावता 6.रीठोद

पंचायत समिति अन्ता

क्र.सं.	वर्तमान ग्रा.पं. का नाम	वर्तमान ग्रा.पं. में सम्मिलित ग्रामी का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकन/नवसृजित ग्रा.पं. का नाम	पुनर्गठित/पुनर्सीमांकन/नवसृजित ग्रा.पं. में सम्मिलित ग्रामी का नाम
1	2	3	4	5
1	ठीकारिया	1.मोल्की 2.ठीकारिया 3.नागदा	ठीकारिया	1.मोल्की 2.ठीकारिया 3.नागदा 4.डुगारी
2	अमलसरा	1.अमलसरा 2.गोपालपुरा 3.गुलाबपुरा 4.अमा 5.डुगारी	अमलसरा	1.अमलसरा 2.गोपालपुरा 3.गुलाबपुरा 4.अमा
3	सोर्सन	1.सोर्सन 2.कल्याणपुरा उर्फ डाबला 3.अपडिया सोर्सन 4.मक 5.राजोडिया 6.देवपुरा सोर्सन	सोर्सन	1.सोर्सन 2.कल्याणपुरा उर्फ डाबला 3.अपडिया सोर्सन 4.मक 5.राजोडिया 6.देवपुरा सोर्सन 7.असन नवटी
4	निवाना	1.निवाना 2.आसन नवटी 3.मानपुरा 4.खरखडा 5.बिलेयी 6.कैथीडी 7.मोहम्मदपुर 8.ताखा 9.कोटडी 10.बावलीखेडा 11.सागाहेडी	निवाना	1.निवाना 2.मानपुरा 3.खरखडा 4.बिलेयी 5.कैथीडी 6.मोहम्मदपुर 7.ताखा 8.कोटडी 9.बावलीखेडा 10.सागाहेडी

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव राज0 जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रकाशनार्थ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद- समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

उप-शासन सचिव(विधि)